Order Sheet (subsequent)

राजस्थान राज्य बनाम मोनू

सेशन प्रकरण संख्या : 46 / 2023

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the order
11.02.2026	लोक अभियोजक उपस्थित। अधिवक्ता अभियुक्त श्री महेश त्यागी न्याय संरक्षक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उपस्थित। लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांकित 04.02.2026 पर बहस सुनी गई। लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया, जबकि इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया। संबंधित विधि को विचार में लेते हुए पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। हस्तगत प्रकरण में गवाहान (1) एयरटेल कंपनी के नोडल अधिकारी श्री दीपक बलवदा (2) जीयो कंपनी के नोडल अधिकारी श्री प्रभात भूषण (3) बीएसएसल कंपनी के नोडल अधिकारी श्री पंकज शेरशाह द्वारा प्रकरण में विभिन्न मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल, कैफ आईडी, टावर लोकेशन से संबंधित धारा–65(बी)(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उक्त गवाहान प्रकरण में महत्वपूर्ण गवाह है, जिसकी साक्ष्य के बिना न्याय का ह्रास होगा। अतः न्यायहित में गवाह की महत्ता को दृष्टिगत न्याय की स्थापना हेतु लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गवाह (1) एयरटेल कंपनी के नोडल अधिकारी श्री दीपक बलवदा (2) जीयो कंपनी के नोडल अधिकारी श्री प्रभात भूषण (3) बीएसएसल कंपनी के नोडल अधिकारी श्री पंकज शेरशाह का नाम साक्ष्य सूची में क्रम संख्या 28 लगायत 30 पर लाल स्याही से दर्ज किये जाते हुए साक्ष्य अभियोजन में गवाह सं. 28 ता 30 को साक्ष्य हेतु जर्ये सम्मन तलब किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन में पूर्व नियत दिनांक 18.02.2026 को पेश हो। 11.2.26 सत्यनारायण टेलर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बारां (राज.)	